

मालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

कुकेदमा नम्बर :-2/2012

उनवान

प्रहलाद पुत्र मुरलीधर, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. रमेश चन्द्र पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. सुरजमल पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. रतनलाल पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. औमप्रकाश पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय


दिनांक:-27.10.2017

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद को निर्णित कर अंतिम रूप से डिक्री करने की मांग की। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाके ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं जिला जयपुर की विवादित भूमि ख0नं0 1951/2481 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1952/2482 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1958 रकबा 2.06 है0 व खसरा नं0 1960 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.29 है0 भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

महायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

1. प्रहलादराय पुत्र मुरलीधर, जाति ब्राह्मण, सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/4 रकबा 0.71 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सुरजमल, रमेशचन्द्र पुत्रान मन्नालाल, जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/5 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 1960 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रतनलाल पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/3 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/1 रकबा 0.47 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. प्रहलादराय पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/3, रमेशचन्द्र, सुरजमल, रतनलाल पुत्रान मन्नालाल कौम ब्राह्मण हिस्सा 4/9, ओमप्रकाश पुत्र कालूराम हिस्सा 2/9 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1951/2481 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1952/2482 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1958/2 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :-2/2012

उनवान

प्रहलाद पुत्र मुरलीधर, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. रमेश चन्द्र पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. सुरजमल पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. रतनलाल पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. औमप्रकाश पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. श्रीमान उपपंजीयक महोदय, चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:-27.10.2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाके ग्राम सिंगोदकलां, तहसील चौमूं जिला जयपुर की विवादित भूमि ख0नं0 1951/2481 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1952/2482 रकबा 0.04 है0.

W
सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)


ख0नं0 1958 रकबा 2.06 है0 व खसरा नं0 1960 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.29 है0 भूमि का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

1. प्रहलादराय पुत्र मुरलीधर, जाति ब्राह्मण, सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/4 रकबा 0.71 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सुरजमल, रमेशचन्द्र पुत्रान मन्नालाल, जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/5 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 1960 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रतनलाल पुत्र मन्नालाल, जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/3 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम, जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1958/1 रकबा 0.47 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. प्रहलादराय पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/3, रमेशचन्द्र, सुरजमल, रतनलाल पुत्रान मन्नालाल कौम ब्राह्मण हिस्सा 4/9, ओमप्रकाश पुत्र कालूराम हिस्सा 2/9 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 1951/2481 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1952/2482 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1958/2 रकबा 0.04 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.10.2017 को जारी किया गया

मोहर

दस्ताखत 
महायज कलक्टर
ओहदा.....घोमू (जयपुर)

मु0सं0-2/2012
उनवान-प्रहलाद बनाम रमेशचन्द्र वगै0
निर्णय दिनांक-27.10.2017

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

WM
सहायक क्लर्क
चौमूँ (जमपुर)